RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/– रु0 30 अप्रैल, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 7, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय सारे प्रदेश में भण्डारण कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारी सूचना के अनुसार पूरे प्रदेश में कुल क्षमता का 80 से 85 प्रतिशत भण्डारण हुआ है। पूर्वी क्षेत्रों में जैसे इलाहाबाद, बलिया आदि में भण्डारण क्षमता कुछ अधिक खाली है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में जैसे, आगरा, अलीगढ़ आदि में अधिकांश शीतगृह पूरे भर गये है या जो खाली भी हैं उनमें 5 से 7 प्रतिशत क्षमता ही बची है।

मौसम में गर्मी आ जाने के कारण व 15 अप्रैल निकल जाने के कारण अब शीतगृहों ने भण्डारण के लिए आलू लेना बन्द कर दिया है, उधर आलू के भाव में भी कुछ बढ़ोत्तरी आ जाने के कारण किसानों की दिलचस्पी भी शीतगृहों में आलू लाने की नही रही है। अप्रैल माह में बार–बार बादल–बदली व पानी के छिटें पड़ने से मौसम में ठडंक भी बन जाती रही है, इस कारण घरों में रखे हुए आलू को कुछ लम्बा जीवन मिल रहा है। बादल–बदली के कारण वायु मण्डल में नमी बढ़ जाने से घरों में रखे हुए आलू के तेजी से खराब होने के समाचार भी मिल रहे हैं। सब मिला कर आलू के भाव में तेजी बन रही है और भविष्य में बाजार भाव गिरने की उम्मीद नहीं की जा रही है। साधारण आलू भी 350 रू कुन्तल से 450 रू कुन्तल मण्डियों में बिक रहा है।

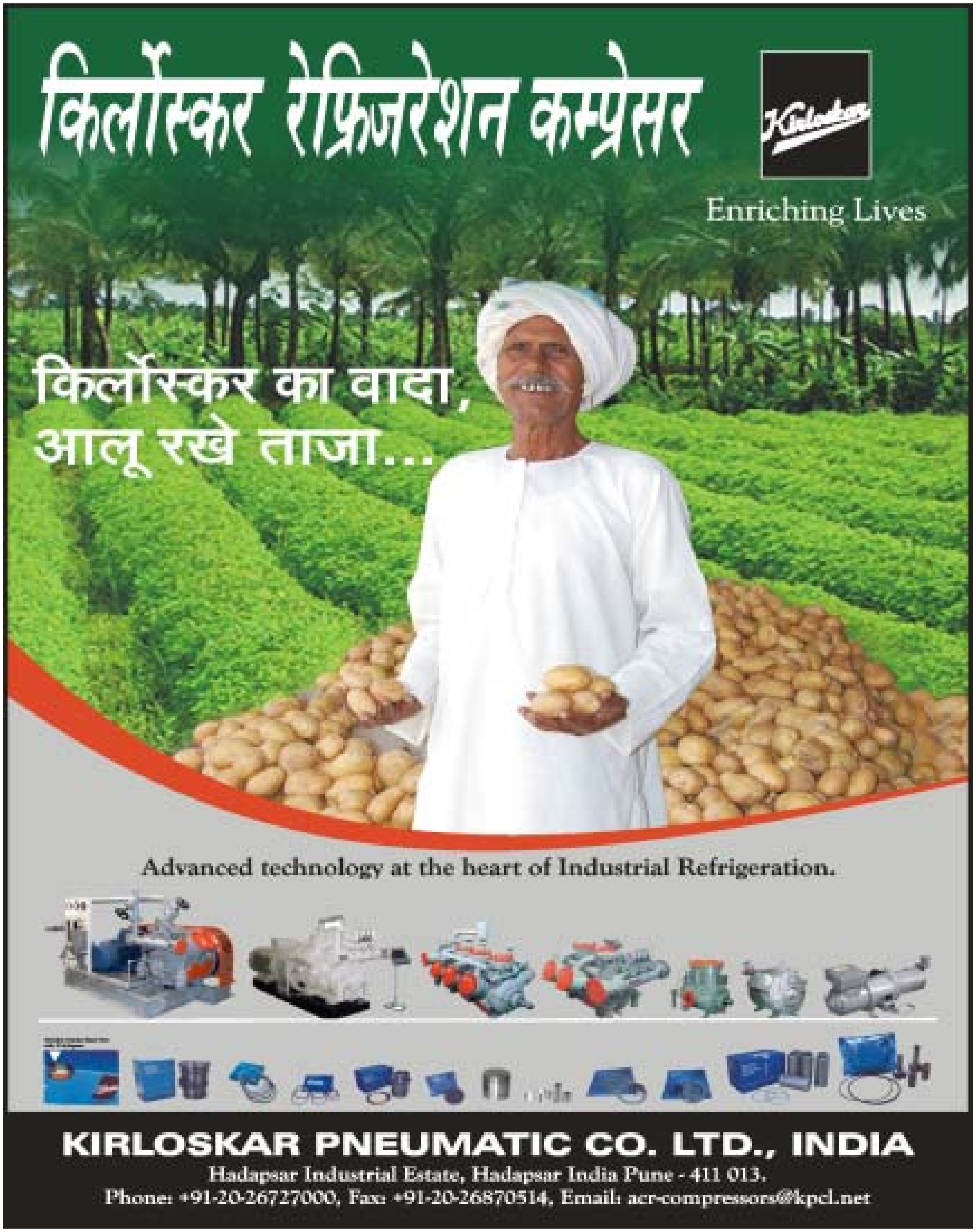
किर्लोस्कर रेफ्रिजरेशन कम्प्रेसर
Kirloskar
Enriching Lives
किर्लोस्कर का वादा,
आलू रखे ताजा...
Advanced technology at the heart of Industrial Refrigeration.
KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., INDIA
Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar India Pune - 411 013.
Phone: +91-20-26727000, Fax: +91-20-26870514, Email: acr-compressors@kpcl.net

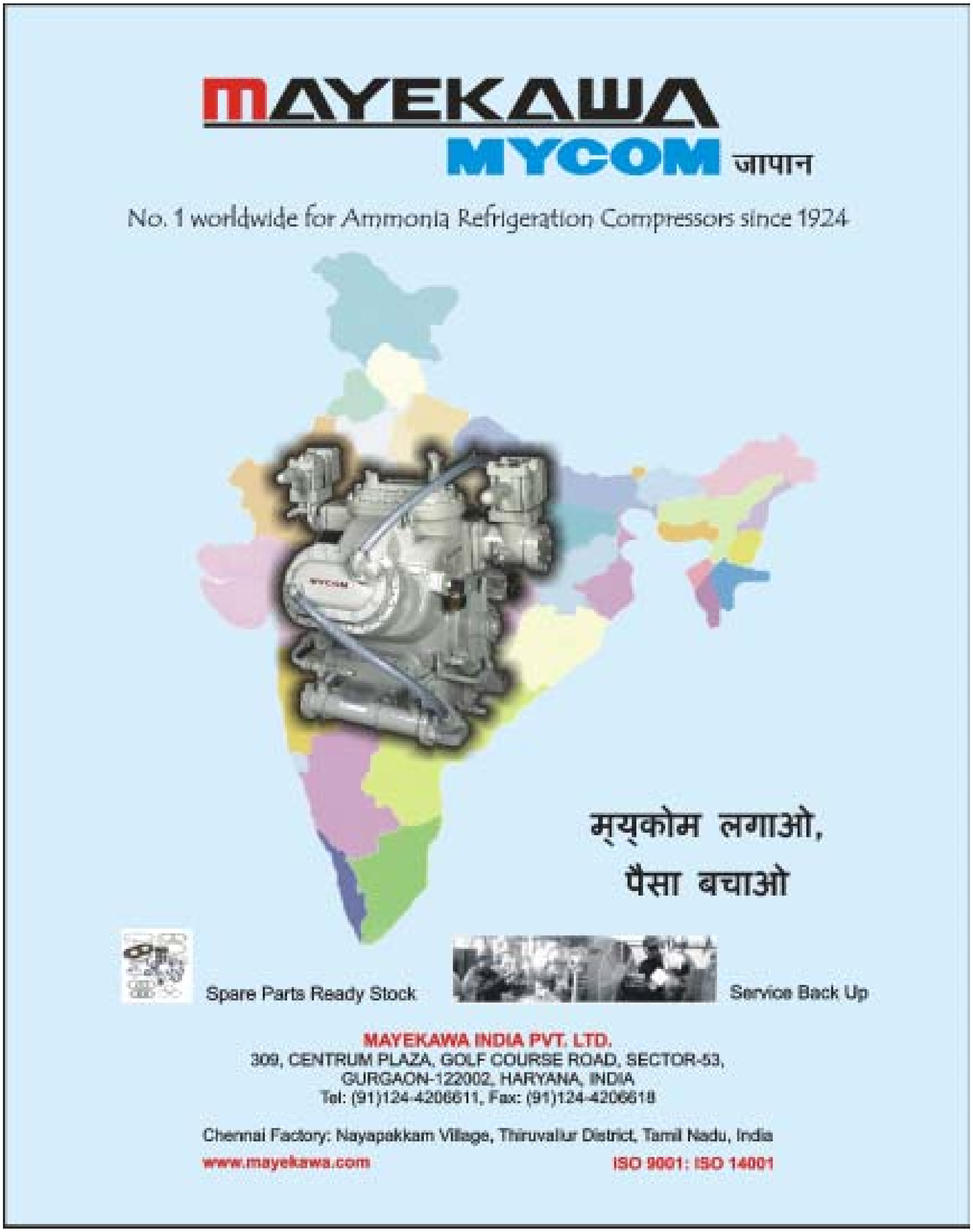
MAYEKAWA
MYCOM जापान
No. 1 worldwide for Ammonia Refrigeration Compressors since 1924
म्यकोम लगाओ,
पैसा बचाओ
Spare Parts Ready Stock
Service Back Up
MAYEKAWA INDIA PVT. LTD.
309, CENTRUM PLAZA, GOLF COURSE ROAD, SECTOR-53,
GURGAON-122002, HARYANA, INDIA
Tel: (91)124-4206611, Fax: (91)124-4206618
Chennai Factory: Nayapakkam Village, Thiruvallur District, Tamil Nadu, India
www.mayekawa.com
ISO 9001: ISO 14001

Acclaimed name in
REFRIGERATION EQUIPMENT INDUSTRY
SRA-SERIES
Refrigeration Compressors Single & Double Stage
Air Cooling Units
Solenoid Valves
Stop Valves
Float Switch
Inline Check Valves
Electronic Liquid Level Controller
Weld-in Line Stop Valves
Digital Temperature Indicator
WIDEST RANGE OF REFRIGERATION VALVES
Energy Efficient • Optimum Cooling • Compact
SUPERFREEZE INDIA LIMITED
An ISO 9001:2000 Certified Company
36/7, Village Sankhol, Delhi-Rohtak Road, Bahadurgarh -124507 (Haryana), India
Tel: +91-1276-241449, +91-1276-241450, +91-9313517675
Fax: +91-1276-241549 | E-mail: sales@superfreeze.com | Website: www.superfreeze.com
For Your Requirement Contact
M/S National Engineering Corp.
Agra: +91-562-2345568, +91-983705367
Hapur: +91-122-2312024
Delhi: +91-11-23264001
M/S S. K. Trading Co.
Varanasi: +91-9935551063, +91-9450015276

आगरा से हमारे एसोसिएशन के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने हमें सूचित किया है कि आगरा क्षेत्र में प्रायः सभी शीतगृह पूरी तरह भर गए है और अभी घरों में काफी आलू बच रहा है। आलू के निर्यात होने के समाचार भी है। आगरा, फिरोजाबाद से मुम्बई के लिए विगत दो माह से बराबर आलू निर्यात किया जा रहा है।

यह आलू 25 किलोग्राम के लिनो बैग में जाता है जो कि मलेशिया, खाड़ी के देशों, रूस व श्रीलंका जैसे देशों में जा रहा है। इस आलू का निर्यात मुम्बई, काण्डला व टूटिकोरिन बन्दरगाहों से हो रहा है। यह आलू कण्टेनर में रखकर सी.आई.पी.सी. केमिकल के छिड़काव के बाद निर्यात किया जाता है। पजांब में भी रूस के लिए करीब 5000 टन आलू निर्यात करने का आर्डर लिया है। निर्यात में कुफरी बहार, 3797 की विशेष माँग है। आशा की जा रही है कि यह माँग जुलाई माह तक चलती रहेगी। इस प्रकार के निर्यात को देखते हुए लगता है कि आलू का भविष्य अच्छा है।

इस वर्ष भण्डारण प्रभार को लेकर शीतगृहस्वामियों व भण्डारर्णकर्ताओं के बीच बहुत कम मन–मुटाव पाया गया। गत वर्ष के भाड़े पर लगभग 9 से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रायः सर्वमान्य रही क्योंकि महँगाई को देखते हुए प्रभार की यह बढ़ोत्तरी किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं समझी गई।

नेशनल सेन्टर फार कोल्ड चेन डवलपमेन्ट (National Centre for Cold Chain Development) :

भारत सरकार ने नेशनल सेन्टर फार कोल्ड चेन डवलपमेन्ट National Centre for Cold Chain Development सोसाइटी का गठन किया है जिसका मुख्य उदे्दश्य –

1. भारत के कोल्ड चेन के ढाँचे, भवन, फसल की खुदाई के बाद का इंतजाम आदि के सही मापदण्ंड बनाने का होगा।
2. आने वाले उघमियों को सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाए बताया जायेगा।
3. नई आधुनिक तरीके से कोल्ड चेन का कैसे संचालन किया जाये इसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।
4. नए शोध कार्यो में कोल्ड चेन उघोग की कैसे मदद की जाए।
5. कर्मचारियों की ट्रेनिंग व शिक्षा।
6. कोल्ड चेन उघोग के बारे में प्रचार–प्रसार।

7. कोल्ड चेन उघोग के विस्तार के लिए नई नीति निर्धारित करना।

8. तेजी से खराब होने वाले कृषि उत्पाद को शीघ्र मण्डियों तक पहुँचाने के लिए सही साधनों की उपलब्धता।

इस सोसाइटी के संचालन के लिए निम्न पदाधिकारी होंगे।

Governing Council

The names, addresses, occupations and designations of the present members of the Governing Council to whom management of the Society is entrusted as required under section 2 of the Society Registration Act, 1860, as applicable to the Union Territory of Delhi as follows :

Sl No.	Name	Designation in the Society
1.	Secretary, Department of Agriculture & Cooperation (DAC)/or the Additional Secretary to be nominated by Secretary, DAC	Ex-Officio President
2.	DG, Bureau of Indian Standards (BIS)	Ex-Officio Member
3.	Agricultural Marketing Advisor & Joint Secretary, DAC	Ex-Officio Member
4.	Representative of Secretary, Ministry of Food Processing Industries, not below the rank of Joint Secretary to Govt. of India	Ex-Officio Member
5.	Joint Secretary (NHM)	Ex-Officio Member
6.	MD, National Horticulture Board (NHB)	Ex-Officio Member
7.	MD, Central Warehousing Corporation (CWC)	Ex-Officio Member
8.	Representative of Railway Board not below the equivalent rank of Joint Secretary to Govt. of India	Ex-Officio Member
9.	Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Ex-Officio Member
10.	APC/Pr Secretary/Secretary (Agriculture/Horticulture/Marketing of two different States to be nominated by DAC)	Nominated by Govt. of India

Sl No.	Name	Designation in the Society
11.	APC/Pr Secretary/Secretary (Agriculture/Horticulture/Marketing of two different States to be nominated by DAC)	Nominated by Govt. of India
12.	Representative of Confederation of Indian Chamber of Commerce (CII)	Member
13.	Representative of Secretariat of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI)	Member
14.	One stakeholder to be elected from Institutional Members category for a tenure of three years.	Elected Member
15.	One stakeholder to be elected from Growers and grower's Association Members category for a tenure of three years.	Elected Member
16.	One stakeholder to be elected from Cold Storage Service provider Members category for a tenure of three years.	Elected Member
17.	One stakeholder to be elected from transporter/reefer transporter service provider member category for a tenure of three years.	Elected Member
18.	One stakeholder to be elected from Cold Chain equipment manufacturer/supplier Member category for a tenure of three years.	Elected Member
19.	One stakeholder to be elected from organized retail chain and food processor member category for a tenure of three years.	Elected Member
20.	One stakeholder to be elected from consumer organizations, reputed individuals, exporters government, organizations, autonomous Institutions Member category for a tenure of three years.	Elected Member
21.	One Expert to be nominated by Governing Council	Nominated Member
22.	Director NCCD to be appointed by the Governing Council	Member Secretary

इस सोसाइटी में Executive Committee इस प्रकार होगी जिसकी मीटिंग तीन महीने में एक बार अनिवार्य होगी।

Executive Committee

There shall be an Executive Committee of the Centre, which shall consist of the following :

Sl.No.	Name and Address	Designation
1.	Secretary (Agricultural Cooperation) or Additional Secretary to be nominated by the Secretary, DAC Ministry of Agriculture Department of Agriculture & Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi	Chairman
2.	Agricultural Marketing Advisor & Joint Secretary (Marketing), Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi	Committee Member
3.	Managing Director National Horticulture Board 85, Institutional Area, Sector 18, Gurgaon, Haryana	Committee Member
4.	Managing Director Central Warehousing Corporation, New Delhi	Committee Member
5.	Representative of Railway Board Not below the equipment rank of Joint Secretary To Government of India	Committee Member
6.	Representative of Confederation of India Industry (CII)	Committee Member
7.	Representative of Secretariat of Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICC)	Committee Member
8.	Elected Member from Cold Storage Service Provider Member category in Governing Council	Committee Member
9.	Expert Member in Governing Council	Committee Member
10.	Director, NCCD	Member Secretary

निम्न दी हुई श्रेणियों (Membership Category) में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया Cold Storage Service Provider (Cold Storage Association & Annual Maintenance Contract Companies) की श्रेणी में लिया जायेगा जिसके लिए 50,000 रूपए प्रति वर्ष की फीस देय होगी जो कि वर्ष 2011–12 के लिए कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने भेज दी है।

Sl.No.	**Membership Category**	**Membership Fee Rs. Per Annum**
1.	Institutional Members (Chambers of Commerce and Industries)	5 Lakh
2.	Grower(s) and Growers' Association	10,000/-
3.	Cold Storage Service Provider (Cold Storage Associations & Annual Maintenance contract companies)	50000/-
4.	Transporter/Reefer Transporter Service Provider	50000/-
5.	Cold Chain Equipment Manufacturer/Supplier	50000/-
6.	Organised Retail Chain and Food Processor	50000/-
7.	Consumer Organisation(s), Reputed Individual(s), Exporter(s), Government Organisation(s), Autonomous Institution(s) (Teri, Ishare, IITs, Marketing Boards, Individual consultants/Experts, Consultancy Firms)	10,000/-

इस सोसाइटी के सदस्य बन जाने पर हमारी फेडरेशन के सब सदस्यों द्वारा सरकार तक अपने सुझाव भेजने का रास्ता बहुत आसान हो जायेगा। साथ में सरकार शीतगृह उद्योग के बारे में क्या सोच रही है? क्या नियम आने वाले है? आदि की जानकारी भी तुरन्त मिल जायेगी। यह सोसाइटी शीतगृह उद्योग के लिए स्वतन्त्र रूप से कार्य करेगी और अपने सुझाव सरकार को देगी। इसके आधे से अधिक प्रतिनिधि सरकार के या उनके द्वारा नामित होंगें।

बीमा सम्बन्धी :

क्या आप जानते हैं :

1. बीमा पालिसी कराते समय आपको प्रपोजल फार्म (Proposal Form) भरकर देना होता है। यह प्रपोजल फार्म (Proposal Form) बीमा ऐजन्ट आपसे दस्तखत करा कर ले जाते है जिसे शीतगृहस्वामी या उनके मैनेजर केवल दस्तखत करके दे देते हे और उस फार्म को पूरी तरह पढ़ कर सही–सही तरीके से नहीं भरते, जबकि यह फार्म बीमे के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यदि अभी आपने वह फार्म दस्तखत कर दे दिया है, और पूरी तरह से नहीं भरा है, तो बीमा कम्पनी से वह फार्म माँग कर अवश्य देख लें और उसे सही प्रकार से भरें और उसकी छायाप्रति (फोटोकापी) अपने फाइल में रख लें।
2. भविष्य में किसी भी क्लेम होने की स्थिति में सही भरा फार्म ही काम आता है। देखा गया है कि अनेक क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा पास नहीं किए गए क्योंकि उनके **''प्रपोजल फार्म''** में **''सही पता''** व **जानकारियाँ**, फर्म क्या काम कर रही है, किन–किन बिन्दुओं पर बीमा चाहिए आदि जानकारियाँ सही नहीं भरी होती है इनमें से कोई एक जानकारी के गलत या ना होने से हो सकता है कि क्लेम पास नहीं किए गये हों। हम अगले अंक में आपको **''प्रपोजल फार्म''** के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।
3. यदि आपने **''प्रपोजल फार्म''** सही भर दिया है तो इसकी एक फोटोकापी अपने पास अवश्य रख लें।

आलू सड़ने की पालिसी में आलू सड़ना क्या होता है :

इस बिन्दु पर ध्यान रखें कि बीमा कम्पनी सड़ा हुआ आलू वही मानती है जो ''बिकने'' व ''खाने'' योग्य न बचा हो। इस बिन्दु पर उद्यान विभाग के अधिकारी की संस्तुति भी आवश्यक होती है और आलू सड़ने के क्लेम में बड़ी मदद करती है। अन्यथा बचे हुए बिकने योग्य आलू के दाम क्लेम में ''सालवेज वेल्यू'' (salvage value) कर के काट दिए जाते है और इस प्रकार क्लेम की राशि बहुत कम रह जाती है। आगे के अंको में हम आलू सड़ने के क्लेम तय करने के तरीको को भी समझायेंगे। आलू सड़ने के क्लेम में यह बात स्पष्ट लिखिए कि आलू सड़ गया है और खाने योग्य नहीं है।

लाईसेन्स नवीकरण सम्बन्धी :

कृपया ध्यान दें कि अभी शीतगृहों के लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्रों को यदि वह एक वर्ष के लिए नवीकृत करने के लिए है तो जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय द्वारा निस्तारित किया जाता था

और यदि वह पॉच वर्ष के लिए है तो उसका निस्तारण प्रदेश मुख्यालय लखनऊ द्वारा होता था। परन्तु अब नए सरकारी आदेश द्वारा हर तरह के लाईसेन्स नवीकृत करने का अधिकार जिला उद्यान अधिकारी/जिला अधिकारी को दे दिया गया है। इस आदेश को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। यह एक अच्छी व्यवस्था हो गई है जिसके विभिन्न जनपदों से शीतगृहो को लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

संख्या–1061/58–2011–100(2)/2001

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग — लखनऊ दिनांक : 08.04.2011

<u>विषय : निजी शीतगृहों के लाइसेंस नवीनीकरण के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा 7, 14, 24, 25, 28 एवं 40 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को लाइसेसिंग अधिकारी के रूप में सशक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना संख्या–379/58–1–2001–100(27)/96, दिनांक 23 अगस्त, 2001 के द्वारा लाइसेंस देना विनियमन नियमावली 1976 की धारा 9 को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिए विहित फीस का चार गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेंस का नवीनीकरण पाँच वर्ष के लिए किया जा सकता है।

2. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक वर्ष एवं पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण जिलाधिकारी/लाइसेसिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा ही किया जाना है। निदेशालय से जारी पत्र संख्या–314/शीतगृह विविध–3, दिनांक 11 मई 2006 के बिन्दु–1 में निदेशक, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पाँच वर्ष के लिए नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निदेशक, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण के पत्र दिनांक 10.01.2011 में किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निदेशालय के पत्र संख्या–314/शीतगृह विविध–3, दिनांक 11 मई 2006 को निरस्त किया जाता

है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि एक वर्ष की भाँति पाँच वर्ष के लिए शीतगृह का नवीनीकरण भी जिलाधिकारी/लाइसेसिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)

संख्या : (1)/एस.एच.एफ./2001

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ
2. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/राजकीय उद्यान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(मनोज कुमार सिंह)

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की मीटिंग के सम्बन्ध में :

हर वर्ष की भाँति फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की वार्षिक मीटिंग का आयोजन दिल्ली में किया गया है। यह मीटिंग 22 मई, 2011 को न्यू फ्रेन्ड्स क्लब, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, मथुरा रोड, दिल्ली फोन 011–26916725/26326656 में आयोजित की जायेगी। मीटिंग का समय 11 बजे प्रातः से 4 बजे सायं होगा। प्रोग्राम निम्न प्रकार होगा।

AGENDA

1. Welcome of New Member
2. Collection of Information regarding potato crop, stored potato and off-take of potato from Cold Storages..
3. Prospects of stored potato in cold storages in different States.
4. New Technology, if any to be discussed.
5. Preparation of Directory of Manufacturers for Cold Storages.
6. Any other point for discussion.

PROGRAM :

- 11.00 A.M. — Introduction of Guests and Office Bearers
- 11.15 A.M. to 11.30 A.M. — Coffee Break

- 11.30 A.M. to 1.30 P.M. Meeting
- 1.30. P.M. to 2.30 P.M. Lunch
- 2.30 P.M. to 4.00 P.M. Meeting continued
- 4.00 P.M. Tea

हमारे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सारे सदस्य व पूरे देश के शीतगृहस्वामी जो भी अन्य प्रदेशों की एसोसिएशन के सदस्य है और वह एसोसिएशन हमारी फेडरेशन की सदस्य है सादर आमंत्रित है, जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल, आध्र प्रदेश व उड़ीसा के सदस्य।

दिल्ली व हरियाणा के शीतगृहों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वह अधिक से अधिक सख्ंया में पधारे और मीटिंग को सफल बनाएँ।

सिक्योरिटी :

हमें बहुत शीतगृहों से एक शिकायत मिल रही है कि उन्हें सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा हमारे जिन सदस्यों के साथ है तो वह हमें तुरन्त सूचित कर दें, जिसमें वह हमें निम्न सूचनाएँ अवश्य दें :–

1. नाम व पता
2. कब से ब्याज नहीं मिला है
3. यदि निम्न दर अर्थात 3 प्रतिशत पर ब्याज तो मिला है जहाँ कि 6 प्रतिशत मिलना चाहिए था 6 प्रतिशत नहीं मिला है।
4. शुरू व आखिर के बिजली बिलों की फोटो कापी।

यह सूचनाएँ हमें आप अपने बिजली के बिल चेक करने के बाद भेज दीजिए और एक साथ में शपथ पत्र भी भेजिए जिसमें यह लिखा हो कि आपके द्वारा दी गई सूचना सही है।

हम अपने ऐसे सभी सदस्यों की तरफ से एक केस दायर करने जा रहे हैं। **हमारे सदस्यों को इसकी कोई फीस नहीं देनी होगी।**

नई सब्सिडी के सम्बन्ध में :

जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि शीतगृह निर्माण पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मई, 2010 से शीतगृह निर्माण के नए मानक निर्धारित कर दिए गए है। इन मानकों को राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड की वेब साइट पर भी देखा जा सकता है। जब से नए मानक आए है तब से सब्सिडी

के लिए शीतगृहों का निर्माण नए मानकों के अनुरूप होना ही माना गया है, अतः आपके शीतगृह का निर्माण भी उन्हीं मानको के अनुरूप ही होना चाहिए यदि आप सब्सिडी चाहते है।

सब्सिडी के लिए नए आवेदको को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बागबानी मिशन ने भी एक सुविधा प्रदान की है जिस के अर्न्तगत आप अपने प्रार्थना पत्र को नीचे दी हुई वेब साइट पर लिखित रूप से दर्ज करा सकते है। जहाँ पर आपको एक परमानेन्ट नम्बर अलाट हो जायेगा। भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की विभाग से अपने प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी जरूरत होगी तो मात्र आपको वह नम्बर बता देने से ही सारा काम चल जाए जायेगा। बार–बार दिल्ली, गुड़गाव या लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा। वेब साइट : shm.up.nic.in

<u>सब्सिडी के सम्बन्ध में :</u>

वर्ष 2010, 31 मार्च से पहले सब्सिडी के लिए राष्ट्रीय बागबानी मिशन, उत्तर प्रदेश ने प्रार्थना पत्र देने वाले सभी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्य शीतगृहो को सूचित किया जाता है कि वह यदि अभी तक सब्सिडी नहीं पाये है और उनका प्रार्थना पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उनका शीतगृह 1.5.2010 से पहले नए मानकों के अनुरूप नहीं है, तो वह अपने प्रार्थना–पत्र की एक छायाप्रति हमें तुरन्त भेज दें। यहाँ हम विभागीय स्तर से उसे राष्ट्रीय बागबानी मिशन आफिस दिल्ली भिजवा देगें। देखा यह गया है कि एक लम्बे अर्से से तमाम प्रार्थना पत्र लखनऊ के मिशन आफिस में रोक लिए गए है और उनका निस्तारण बगैर कोई वजह बताये भी नहीं किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2010 से पहले जिन शीतगृहों ने भी बैंक के माध्यम से अपने सब्सिडी के प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय बागबानी मिशन को भेज दिए थे उन सबको पुराने मानको के आधार पर ही सब्सिडी दी जायेगी।

<u>नई डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में :</u>

जैसा कि हम अपनी पत्रिका के पिछले अंक में दे चुके है कि फेडरेशन की नई डायरेक्ट्री इस वर्ष बनने जा रही है जो कि जून, 2011 के आखिर तक प्रेस में छपने चली जायेगी अतः आप शीघ्र–अति–शीघ्र अपने सम्बन्ध में सही जानकारी भेजें। यदि आप अपनी फोटो भी छपवाना चाहते है तो उस व्यक्ति की फोटो भेज दीजिए जो कि शीतगृह का संचालन जिम्मेदारी से कर रहा हो। इस वक्त बनी हुई डायरेक्ट्री को भी देख लें जो कि आपके पास पहले से है। इसमें यदि आप अपने शीतगृह के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पाये तो उसको भी अवश्य लिख कर भेज दें, जिससे कि उसे भी ठीक किया जा सके।

<u>डायरेक्ट्री 2011</u>

फोटो के पीछे अपना नाम व शीतगृह का नाम लिख दें।

1. शीतगृह का नाम :...

....

2. शीतगृह का पता :...

....

....

....

3. वह पता जिस पर पत्र व्यवहार चाहते हों : ....

....

....

....

4. शीतगृह की क्षमता कुन्तल में : ....

5. कृषि उत्पाद जो भण्डारित करते हों : ....

....

6. एस.टी.डी. कोड/टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर : ....

7. ई–मेल पता : ....

8. मुख्य सम्पर्क व्यक्ति का नाम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर/पार्टनर/मैनेजर आदि......................

....

....

....

....

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : http : //www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Swapan Kumar Mondal** - Vice President (North), **P.C. Chib** - Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश से आलू के निर्यात होने के समाचार से अच्छी क्वालिटी के आलू जो निर्यात योग्य है के दामों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

सासनी, हाथरस से हमें श्री पवन कुमार जैन, शिवांग कोल्ड स्टोरेज ने सूचित किया है कि इस समय उनके क्षेत्र में 360 रू कुन्तल से लेकर 480 रू कुन्तल आलू बिक रहा है। आपको मई के प्रथम सप्ताह में आलू निकासी शुरू हो जाने की सम्भावना नजर आ रही है और उस वक्त भाव में भी अनुमानतः 30 प्रतिशत से ऊपर रेट में वृद्धि के साथ निकासी का अनुमान है। आपके क्षेत्र में 3797 किस्म के आलू के साथ प्रायः सभी शीतगृह फुल हो गए हैं।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश से श्री बी.एल. जाजू, अध्यक्ष, मध्य प्रदेष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उनके प्रदेश में सभी शीतगृह भर गए है। आप के यहाँ चिप्स और टेबल ग्रेड का आलू ही अधिक रखा जाता है। इसके साथ साथ कुछ शीतगृहों में चना, इमली, महुआ आदि का भण्डारण भी होता है। इस समय चिप्स ग्रेड 1000 रू प्रति कुन्तल व टेबल ग्रेड 700 से 800 रूपए प्रति कुन्तल चल रहे है। यह मण्डी के रेट है जिसमें बारदाना भी शामिल है। आपको अभी निकट भविष्य में रेट के बढ़ने की आशा नहीं है।

उड़ीसा : श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उड़ीसा में भण्डारण औसतन 65 प्रतिशत हुआ है। उड़ीसा में चार पाँच कोल्ड स्टोरेज बन्द हो गए हैं। उड़ीसा में मुख्यतः ज्योति और पुखराज किस्म के आलू का भण्डारण होता है। आपको समाचार मिला है कि खराब मौसम के कारण आम व इमली की फसल पर बुरा असर पड़ा है। इस समय उड़ीसा में 550 रू प्रति कुन्तल मय बारदाना के रेट चल रहे हैं जिनके मई माह में बढ़ जाने की आशा कर रहे हैं।

COOLING UNIT
SUPER
MAINI
ISO 9001 : 2008
SUPER
AIR CURTAIN
SOLENOID VALVE
MONO BLOCK
VERTICAL AGITATOR
BRINE AGITATOR
ANGLE VALVE
GLOBE VALVE
LIQUID VALVE
REFLAX VALVE
PIPE FITTINGS
COMPRESSOR SPARES
आइस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, कैमीकल प्लान्ट, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, इंडस्ट्रीयल एयर कंडीशनींग प्लान्ट, फीशरी प्लान्ट, आदि के लिए उपयुक्त
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-
सुपर मैनी एंटरप्राइजिस
दुकान नः 106, पहली मंजिल, सी० एस सी०,
डी० डी० ए० मार्किट, स्टेट बैंक नगर,
नजदीक मीरा बाग चौक, ऑउटर रिंग रोड,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
फोन : 91-11-25269432 टैलीफेक्स : 91-11-25251225
मोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
ई-मेल : info@supermaini.com
उत्तर प्रदेश एरिया डीलर्स-
• मैसर्स एमपी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
फोन : 0522-2286660, मोबाइल : 98390 12465
• मैसर्स अल-आजाद रेफ्रिजरेशन (कानपुर)
मोबाइल : 9336118558, 9415405572
• मैसर्स एस एल एण्ड सन्स रेफ्रिजरेशन (मुरादाबाद)
फोन : 0591-2351306, मोबाइल : 9412493581, 9411037976
• मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
मोबाइल : 9412261344, 9837774099

Since 1967, India's leading & trusted house of refrigeration equipment & spare parts
Equipments as per NHB Norms
SUPER
Name Matches Performance
Refrigeration Cast
Iron and Weld in line Valves
Spare Parts
Super Refrigeration (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office : WH-62, Mayapuri Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110064 (INDIA)
Phone : +91 11 45595079, 45683942, Fax : +91 11 45595079
E-mail : info@superrefrigeration.com
Web. : www.ammonia-refrigeration-equipments.com, www.supervalve.net
www.indiamart.com/superrefrigeration
We also Undertake Complete Turnkey Projects in Refrigeration & Project Consultancies

metalex™ An ISO 9001:2000 Company
Ice Plants • Cold Storages • Distillery & Breweries • Dairy Industry • Fisheries Food Processing • Pharmaceuticals • Chilling Plants • Other Process Plants
SINGLE STAGE
(+40°C) – (-15°C)
✓ Long life low maintenance
✓ Low vibration & Low noise
✓ Robust construction
✓ Modular Design
TWO STAGE
(+40°C) – (-40°C)
✓ Perfect for Meat & Fish Processing Plants
✓ Available for Ammonia & Freon
DIRECT DRIVE PACKAGE UNITS
✓ Available for 4,6 & 9 Cylinder
✓ Units in Direct Drive and 'V' Belts drives
ACR VALVES
✓ Back Seating
✓ Stainless Steel Stems
✓ Teflon Self aligning disc
✓ 20°C to +80°C
✓ Suitable for Ammonia & Freon
SPARES
सालो साल चलकर निरंतर सेवा दे - बिजली की खपत में सर्वोत्तम और लखणीय बचत करे।
metalex™
REFRIGERATION COMPRESSORS
Contact : 407, Bhakti Plaza, Bremen Square, Aundh, Pune - 411 007. Telefax : (020) 2588 1117/8
Email : metalex@vsnl.com / sales@metalexgroup.com Website : www.metalexgroup.com

हमें श्री हंसमुख जैन गांधी, स्वामी, गांधी कोल्ड स्टोरेज, इन्दौर ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज पर किसान मेले का आयोजन किया जिसमें उन्होंने किसानों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी दी। कृषि उत्पाद एवं भण्डारण पर विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और उनके द्वारा किसानों को विशेष रूप से समझाया गया। यहाँ हम यह भी बता दें कि श्री गांधी ने अपने शीतगृह की क्षमता दुगुनी कर ली है। इन सब कार्यों के लिए श्री गांधी बधाई के पात्र है।

किसान मेले के अवसर पर – सभा

किसान मेले के अवसर पर दर्शक एवं अधिकारीगण

बिकाऊ है

सण्डीला, जनपद हरदोई, उत्तर प्रदेश में सिनेमा हाल (कमलेश थियेटर), 596 सीटों की क्षमता, जेनरेटर लगे हुए, साथ में चार दुकानें भी है। सिनेमा की पूर्ण भूमि तीस हजार स्कवायर फुट से अधिक ही है।

संपर्क करें :

श्री राम केहर आर्या

मोबाइल : 09837057290 / 09837015382 / 09927006499

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित